रजिस्ट्री सं० डी(डी०)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 8, 1979/भाद्रपद 17, 1901

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 8, 1979/BHADRA 17, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग —खण्ड उप-खण्ड (i)
PART II—Section Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1976

सा०का०नि० 1119.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, न्याय विभाग (ग्रुप-'सी' पद) भर्ती नियम, 1977 में आगे और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरम्भ : (1) ये नियम, न्याय विभाग (ग्रुप 'सी' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1979 कहलाए जाएं।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. न्याय विभाग (ग्रुप 'सी' पद) भर्ती नियम, 1977 में :—

(क) नियम 3 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तुक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के मामले में उक्त अनुसूची के कालम 6 में निर्दिष्ट ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है।"

(ख) अनुसूची में,

(1) कनिष्ठ अन्वेषक के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 1 के सामने दी गई प्रविष्टियों में—

(i) कालम 6 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"20—26 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक की छूट)"

(ii) कालम 7 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित के विषय के साथ डिग्री";

(2) कालम 6 में संगणक (वरिष्ठ) के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 3 के सामने की गई प्रविष्टियों में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"19—26 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक की छूट";

(3) संगणक (कनिष्ठ) के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 4 में दी गई प्रविष्टियों के सामने :—

(i) कालम 6 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"18-25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के मामले में 35 वर्ष तक की छूट)

(ii) कालम 7 की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, :

(1) मैट्रिक या उसके समकक्ष

SCHEDULE

2. Hindi Typist	One	General Central Service Group "C" Non-gazetted Non-ministerial	Rs. 260–6–290–EB–6–326–8–366–EB–8–390–10–400.	Not applicable.	25 years (relaxable upto 35 years in the case of Govt. servants) Note : The crucial date for determining the age limit will be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(i) Matriculation or equivalent qualification. (ii) 25 words per minute in Hidni typing.

8	9	10	11	12	13
2. Not applicable	Two years	Directo recruitment failing which by transfer and failing both by deputation.	In case of deputation/transfer, selection from the categories of staff working in Central Govt. offices working in similar/equivalent grades and possessing qualifications indicated in column 7. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	(1) Regional Officer or Additional Regional Officer C.B.F.C., Bombay. (2) Administrative officer, C.B.F.C., Bombay. (3) Assistant Information Officer, PIB Bombay.	Not applicable.

[File No. 2/3/78–F(C)]
K. S. VENKATARAMAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1979

शुद्धि पत्र

सा०का०नि० 1146.—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 704/11/77–बी(डी), दिनांक 10 मई, 1979 के साथ लगी अनुसूची के हिन्दी रूपांतर के कालम 8 में तकनीशियन के पद (क्रम संख्या 3) के लिए निर्दिष्ट अर्हताओं का निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

"1. मैट्रिक या समकक्ष और

(क) किसी आई० टी० आई० से रेडियो या इलेक्ट्रानिकी में या इलेक्ट्रिशियन का दो वर्ष का व्यापार प्रमाण-पत्र तथा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

या

(ख) किसी आई० टी० आई० से वातानुकूलन और रेफ्रीजरेशन मकेनिक के रूप में एक वर्ष का व्यापार प्रमाण-पत्र तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद दो वर्ष का अनुभव।

या

(ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वायरमैन मकेनिक या इलेक्ट्रिशियन या फिटर मकेनिक का सक्षमता का प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा बशर्ते कि उम्मीदवार के पास किसी प्रतिष्ठित संस्थान का उपर्युक्त इलेक्ट्रिकल लाइसेंस हो और उसको निम्नलिखित में से किसी एक में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो :

1. खराद कार्य
2. बढ़ईगीरी
3. इलैक्ट्रिक वायरिंग सोल्डरिंग
4. फिटिंग और प्लम्बिंग
5. इन्टरनल कम्बस्टन इंजन

[सं० 11/45/76-एस-4-खंड 2-बी (डी)]
वी० कृष्णन्, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 1979

CORRIGENDUM

G.S.R. 1146.—The qualifications for the post of Technician (S. No. 3) indicated in column 8 of the schedule attached to this Ministry's Notification No. 704/11/77-B(D) dated the 10th May, 1979 may be substituted by the following in the Hindi version :—

"I. Matriculation or equivalent and

(a) A two year trade certificate from an I.T.I. in Radio or Electronics, or Electrician with one year practical experience after obtaining the certificate.

OR

(b) A one-year trade certificate from an I.T.I. as Air Conditioning and Refrigeration Mechanic with two years experience after obtaining the certificate.

OR

(c) A certificate of competency or a diploma from recognised Institution for Wireman Mechanic or Electrician or Fitter Mechanic subject to the condition that the candidate possesses suitable Electrical licence with at least two years experience in a reputable workshop in one of the following :—

1. Lathe work
2. Carpentary
3. Electric Wiring Soldering
4. Fitting & Plumbing
5. Internal Combustion Engine."

[No. 11/45/76-SIV. Vol. II-B(D)]

V. KRISHNAN, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1979

सा०का०नि० 1147.—केन्द्रीय सरकार, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोनस संदाय नियम, 1975 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बोनस संदाय नियम, 1975 से संलग्न प्ररूप "ग" में,

(1) स्तम्भ 10 और 11 के बीच काटी गई आयकर की रकम शीर्ष सहित स्तम्भ 10क अन्तःस्थापित किया जाएगा।

(2) स्तम्भ 12, स्तम्भ शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

"स्तम्भ 9, 10, 10क और 11 के अधीन काटी गई कुल राशि"

[एस-33012/18/78-डब्ल्यू०बी०]

अशोक नारायण, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd August, 1979

G.S.R. 1147.—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Payment of Bonus Act, 1965 (21 of 1965), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Payment of Bonus Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Payment of Bonus (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In form C appended to the Payment of Bonus Rules, 1975,

(i) between columns 10 and 11, column 10A with the heading "Amount of income tax deducted" shall be inserted.

(ii) For the column heading, in column 12, the following column heading shall be substituted, namely :—
"Total sum deducted under columns 9, 10 10A and 11"

[S-33012/18/78-WB]

ASHOK NARAYAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979